ह इसका जायजा लेने कलेक्टर लोगों से बात कर कहा कि शासन मिल। शिविर में जिन लोगों को दिख रही थी। किसी को पहली सपना पूरा हुआ।

पैरोल पर छोड़े 70 बंदी हो गए लापता, डीजीपी ने पेश किया जवाब

जेल प्रबंधन ने संबंधित थानों में दर्ज कराई है एफआइआर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः कोरोना महामारी के दौरान फैलते संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने अच्छे चाल-चलन वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया था। कोरोना संक्रमण के दौरान कई बार पैरोल की अवधि बढ़ाई गई मगर, अब तक कई कैदी वापस जेल नहीं लौटे हैं। हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई है। बिलासपुर जेल में इस तरह के 22 बंदी नहीं लौटे हैं तो रायपुर सेंट्रल जेल से सात ऐसे बंदी हैं। उनके स्वजन को बार-बार सूचना देने के बाद भी जब बंदी नहीं लौटे, तो जेल प्रबंधन ने संबंधित थानों को फरार बंदियों की जानकारी दी है। प्रबंधन की मानें, तो थानों में उनके फरार होने की एफआइआर दर्ज कराई गई है।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए दी गई थी सुविधा

ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के दौरान फैलते संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने अच्छे चाल-चलन वाले बंदियों को पैरोल पर भेजा था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान पैरोल की अवधि कई बार बढ़ाई गई थी। नहीं लौटने वालों में इनकी ही संख्या अधिक है। छत्तीसगढ़ में कुल पांच सेंट्रल जेल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में हैं। इसके अलावा 12 जिला और 16 उप जेल हैं। केंद्रीय जेलों के अलावा इन जेलों में भी बंदियों को राहत दी गई थी। बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था। इनकी संख्या और वापसी की पुख्ता जानकारी नहीं है।

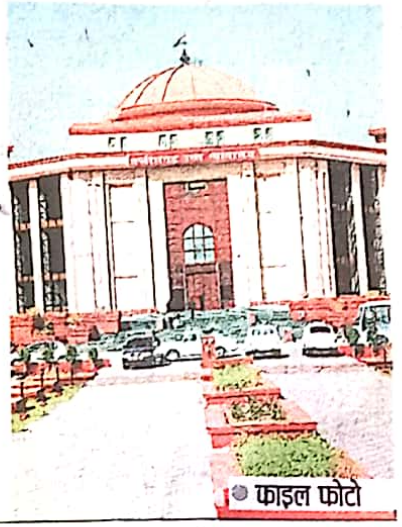

फाइल फोटो

पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के मामले में हाई कोर्ट ने डीजीपी जेल से ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के जरिए पेश करने को कहा था। इसके बाद डीजी जेल की ओर से हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि प्रदेश की पांच सेंट्रल जेलों ने 83 कैदी पैरोल से नहीं लौटे थे, जिनमें 10 को गिरफ्तार कर लिया गया और तीन की मृत्यु हो गई थी। अभी भी प्रदेशभर की जेलों से करीब 70 बंदी पैरोल से छूटने के बाद वापस नहीं लौटे हैं। एक बंदी दिसंबर 2002 से गायब हैं। इनमें अधिकतर बंदी हत्या के प्रकरण में जेल में बंद थे। जेल और पुलिस प्रशासन ने इन बंदियों की कई बार तलाश की, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चला। अब जेल प्रशासन इन बंदियों की वापसी की राह ताक रहा है। सूचना के अधिकार के तहत रायपुर जेल के वारंट अधिकारी ने सात बंदियों के पेरोल पर छोड़े जाने के बाद से नहीं लौटने की जानकारी दी है।

जज की कार को कर्मचारी ने मारी टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः सरकंडा के अशोक नगर में रहने वाले संदीप बघेल(25) हाई कोर्ट में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। उनकी ड्यूटी हाई कोर्ट के जज रविंद्र अग्रवाल के बंगले में है। सोमवार को वे जज की बेटी को कालेज छोड़ने के लिए जा रहे थे। वे दिल्ली पब्लिक स्कूल गेट के पास पहुंचे थे। तभी सामने से आ रही कार के चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इससे जज की कार क्षतिग्रस्त हो गई। सामने से आ रही कार को हाई कोर्ट की ही महिला कर्मचारी अलका नामदेव चला रही थीं। जज के ड्राइवर ने इसकी जानकारी हाई कोर्ट के अधिकारियों को देकर सिरगिट्टी थाने में शिकायत की है। ड्राइवर ने बताया कि इस हादसे में दोनों कार को नुकसान हुआ है।

Scanned by CamScanner